सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 16, शुक्रवार, *शाके 1946*- मार्च 07, 2025
Phalguna 16, Friday, Saka 1946- March 07, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2025

संख्या जविप्रा/उपा/जोन–11/डी-**13739540 :-**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बी.पी.सी. (एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.03.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में जोन-11 के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में 60 मीटर जयसिंहपुरा रोड़ से पूर्व की ओर जोनल प्लान संख्या 10 की प्रस्तावित 30 मीटर रोड़ जो मैसर्स सन्नी राज प्रोपट्रीज प्रा. लि. एवं मैसर्स राधा रमन फार्मस प्रा. लि. के स्वामित्व के खसरा नम्बर 762, 764, 760/1, 761/1 एवं जविप्रा द्वारा सृजित आवासीय योजना एपीजे अब्दुल कलाम नगर में से हो कर गुजर रही है। उक्त प्रस्तावित 30 मीटर सड़क हेतु मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण जयसिंहपुरा रोड़ से जंक्शन तक 30 मीटर सड़क को विलोपित किये जाने हेतु दिनांक 28.04.2021 को आम जनता के आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये गये थे, नियत तिथि तक कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुई।

उक्त निर्णय के कम में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिनियम की धारा 1982 की उपधारा 25 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त सड़क को विलोपित माना जाएगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक **20-02-2025** को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं दो राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।